न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–167/2017

1. नाथूलाल पुत्र छोटू, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामनारायण पुत्र छोटू, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी/अपीलान्ट्स–

बनाम

1. गजेन्द्र कुमार पाटनी पुत्र स्व. श्री सोभागमल पाटनी, जाति जैन, निवासी 42–ए, जौली मेकर अपार्टमेन्ट–1, कफ परेड मुम्बई।
2. श्रीमती रजनीकान्त पाटनी पत्नी श्री गजेन्द्र कुमार पाटनी जाति जैन, निवासी 42–ए, जौली मेकर अपार्टमेन्ट–1, कफ परेड़ मुम्बई।
3. श्रीमती साधना पाटनी पत्नी श्री अशोक कुमार पाटनी, जाति जैन, निवासी 42–ए, जौली मेकर अपार्टमेन्ट–1, कफ परेड़ मुम्बई।
4. श्रीमती वसुन्धरा पाटनी पत्नी श्री अपूर्व पाटनी, जाति जैन निवासी 222–बी, जौली मेकर, अपार्टमेन्ट–1, कफ परेड, मुम्बई।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।
6. नायब तहसीलदार बगरूकलां उप तहसील कार्यालय बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री हनुमान सहाय सिहाग अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री मयंक कुलवाल रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 02–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर वाद नम्बर 114/2014 उनवानी गजेन्द्र कुमार पाटनी व अन्य बनाम नाथूलाल वगैरा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 4 की ओर से एक वाद पत्र दिनांक 04.06.2014 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 305 जिसके खसरा नम्बर 3008 रकबा 0.32 हैक्टै, खसरा नम्बर 3009 रकबा 0.21 हैक्टै0, खसरा नम्बर 3048 रकबा 0.15 हैक्टै0, खसरा नम्बर 3049 रकबा 1.82 हैक्टै0 कुल किता 4 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.50 हैक्टै0 वाके ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 863 जिसके खसरा नम्बर 3054 रकबा 0.98 हैक्टै0 कुल किता 1 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.98 हैक्टै0 वाके ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

व 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 864 जिसके खसरा नम्बर 3015/8260 रकबा 0.08 हैक्टै0, खसरा नम्बर 3016 रकबा 1.43 हैक्टै0 कुल किता 2 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 1.51 हैक्टै0 वाके ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित पैरा नम्बर 1 व पैरा नम्बर 2 व पैरा नम्बर 3 में वर्णित खतोदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जा काश्त व सम्मिलित खातेदारी भूमि है, जिसको वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है तथा जिसका विधिवत रूप से कोई विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य आज तक नहीं हुआ है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा 7/12 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/12 है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने–अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त भूमि का परस्पर सहमति से मौखिक विभाजन मौके पर कर रखा है और विभाजन अनुसार वादीगण के हक में उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3008 रकबा 0.32 हैक्टै0 में से उत्तरी साईड रकबा 0.06 हैक्टै0 एवं खसरा नम्बर 3009 रकबा 0.21 हैक्टै0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 3048 रकबा 0.15 हैक्टै0 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 3049 रकबा 1.82 हैक्टै0 में से उत्तरी साईड का मिन रकबा 1.0383 हैक्टै एवं खसरा नम्बर 3054 रकबा 0.98 हैक्टै0 में से उत्तरी साईड का मिन रकबा 0.5716 हैक्टै0 एवं खसरा नम्बर 3015/8026 रकबा 0.08 हैक्टै0 में से पश्चिमी साईड का मिन रकबा 0.8708 हैक्टै0 जिसको वादपत्र के साथ सलंग्न नक्शे में पीले रंग की धारियों से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में उक्त वाददस्त भूमि खसरा नम्बर 3008 रकबा 0.32 हैक्टै0 में से दक्षिणी साईड का मिन रकबा 0.7817 हैक्टै0 एवं खसरा नम्बर 3054 रकबा 0.98 हैक्टै0 में से दक्षिणी साईड का मिन रकबा 0.4084 हैक्टै0 एवं खसरा नम्बर 3015/8026 रकबा 0.08 हैक्टै0 में से पूर्वी साईड का मिन रकबा 0.07 हैक्टै0 खसरा नम्बर 3016 रकबा 1.43 हैक्टै0 में से पूर्वी साईड की मिन रकबा 0.5592 हैक्टै0 जिसको वादपत्र के साथ सलंग्न नक्शें मे लाल रंग की धारियों से दर्शाया गया है, जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का बंटवारा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य नहीं करने व भूमि का बेचान नहीं करने हेतु एवं रिकॉर्ड एवं मौका की स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02/03/2017 द्वारा प्रकरण में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2016 को स्वीकार होने पर मौके व कब्जे की जांच के अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थित में कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश प्रदान किये थे। फिर भी पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच नहीं कर जो कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 07.07.2015 को तैयार की गई, उसमें भी अपीलान्ट के कब्जे के विपरीत व अच्छी भूमि को नजरअन्दाज कर कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थित में तैयार की गई है। उक्त दोनों ही कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी पक्ष के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी नहीं है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा पुनः कुर्रेजात पर आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2016 को पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि उपरोक्त वर्णित अनुसार मौके पर विवादित है इसलिए तहसीलदार सांगानेर द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट को निरस्त किया जाकर पुनः मौका कब्जे अनुसार कुर्रेजात मंगवाया जाये। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कर्त गौर नहीं किया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब दावे के साथ प्रस्तुत नजरिये नक्शा प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्होनें बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज होना एवं उन पर पुख्ता तीन कमरे बनाकर निवास करने की बात कही है। फिर भी उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर दोनों कुर्रेजात रिपोर्ट में उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 4 को दे दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 3016 जिसके पश्चिमी दिशा में छीतरोली रीको इण्डस्ट्रीज एरिया बगरू की भूमि के लगवा स्थित है। जिसके रोड भी अपीलान्ट की भूमि के लगवा स्थित है। जिसमें उसका रास्ता खुलकर व आसानी से उसमें आ जा सकता है, एवं वह इण्डस्ट्रीज एरिया के लगवा होने से बेस कीमती जमीन है। इसलिए भी उक्त खसरे में पश्चिमी दिशा में बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर अपीलान्ट को हिस्सा दिया जाना न्यायहित में है एवं कानूनन आवश्यक है चूंकि अपीलान्ट प्रथमतः पूर्व से ही वहां काबिज है एवं उक्त आराजियात अन्य आराजियात से बेस कीमती भूमि है। इसलिए उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अन्तिम निर्णय व डिक्री मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात के आधार पर कर दिया गया। जबकि कानूनन कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार सांगानेर को स्वयं उपस्थित होकर बनवाकर प्रस्तुत करना कानूनन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब विशिष्ट स्थान पर कब्जा सिद्ध करने का तथ्य था तो अधीनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम कर साक्ष्य, सबूतों के बाद उक्त बिन्दू को निस्तारित किये बिना डिक्री पारित करने में अहम कानूनी भूल की है एवं जल्दबाजी में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो कुर्रेजात रिपोर्ट आ चुकी है और दोनों भिन्न–भिन्न जगहो पर रंग भरकर प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट मौके पर नहीं बनाकर पटवारी हल्का द्वारा तहसील कार्यालय में ही बैठकर बनाई गई है इसलिए भी उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स द्वारा उपर्युक्त कथन कर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 2–3–2017 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेंन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्तागण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरा गया तथा कथन किया गया कि प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में तथा कब्जे के विपरीत पटवारी के द्वारा तैयार की गई है तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नहीं की गई है रिपोर्ट में अच्छी भूमि रेस्पोडेंन्टस को दे दी गई है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट्स को कब्जे होने के बावजूद भी बेस कीमती भूमि खसरा नम्बर 3016 में से भूमि नहीं दी गई है।अपीलान्ट्स द्वारा अपने जवाब दावे के साथ कब्जा काश्त संबंधी नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया था परन्तु कुर्रेजात रिपोर्ट उसके विपरीत बताई गई हैं। अपीलान्ट्स द्वारा जिस भूमि पर मकानात का निर्माण एवं कुआ बना रखा है वह भूमि अपीलान्ट्स को नहीं दी गई है। विभाजन में नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी लिखित बहस में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016–17 (सप्लीमेन्ट्री) 711, आरआरटी 2016 (1) 87,आरआरटी 2014 पेज नम्बर–258, आरआरडी 2015 पेज नम्बर 739 का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेंटस सख्या 01 लगायत 04 द्वारा लिखित बहस में कथन किया गया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादीगण/रेस्पोडेंटस सख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि का वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार तकासमा किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया। जिस परअपीलान्ट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर तकासमा किये जाने हेतु अपनी अनापत्ति/सहमति जाहिर की तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर दिनांक 6–5–2015 को वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर एवं संलग्न नक्शे के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये तथा दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश की अपील किसी भी पक्ष ने अपीलीय न्यायालय में नही की, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट को प्रारम्भिक डिक्री एवं आदेश दिनांक 06–05–2015 से किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं था। दिनांक 6–5–2015 की प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 30–10–2015 को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में भिजवाये गये दिनांक 5–10–2016 को कोई प्रथम कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, प्रथम कुर्रेजात रिपोर्ट वादग्रस्तभूमि के बाबत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तैयार किये गये थे, जिसमें अच्छी में से अच्छी भूमि व बुरड़ी में से बुरी भूमि का बंटवारा उभयपक्षों के मध्य में किया गया था किन्तु दुर्भावनावश अपीलान्ट ने उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार के आदेश पारित कर दिये। दिनांक 7–7–2015 को कोई द्वितीय कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी, तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 17–10–2016 को वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के अनुसार संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में तैयार कर भिजवा दी उक्त संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार की " जिस पर प्रतिवादी की ओर से सीता राम पुत्र श्री रामनारायण व राधेश्याम पुत्र प्रभुदयाल कुमावत उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी ने डिक्री में कुर्रेजात से असहमति प्रकट की " तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर पुनः आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02–03–2017 में खारित फरमा दिया तथा वाद कब्जे अनुसार तैयार की गयी संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री फरमा दिया, जिसके बाबत अपीलान्टस ने माननीय न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की है।तहसीलदार सांगानेर द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है जिसपर प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स की असहमति का कथन अंकित है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट के आपत्ति प्रार्थना–पत्र का मैरिट पर निस्तारण किया गया है। अपीलान्टस न तो प्रथम कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाना चाहते है ओर न ही उभयपक्ष के वास्तविक कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा करवाना चाहते है। अपीलान्टस येन–केन–प्रकारेण प्रकरण को लम्बा करना चाहते है। खसरा नम्बर 3016 पर अपीलान्टस का कोई कब्जा काश्त नही है तथा यदि उक्त खसरा नम्बर बेस कीमती भूमि है तो अपीलान्टस को दिया जाना न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलान्टस केवल ओर केवल अच्छी ही भूमि लेना चाहते है। द्वितीय कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलान्ट्स को एक स्थान पर अच्छी भूमि दी गई है तथा खसरा नम्बर 3049 पर निर्मित कमरा भी अपीलान्टस के हिस्से में आया है तथा रेस्पो0 सख्या 01 लगायत 04 को शेष अच्छी एवं बुरी भूमि दोनों ही दी गई है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्टस वर्तमान में काबिज काश्त है। वर्तमान में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्टस के कब्जे अनुसार तारबंदी भी हो चुकी है तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम भी हो चुकी है। इस संबंध में दिनांक 13–07–2017 को एक लिखत भी अपीलान्ट्स सख्या 01 के पुत्र राधेश्याम द्वारा की हुई है जिसके अनुसार दोनों पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

मौके पर विभाजन के अनुसार काबिज हो गये है तथा दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं रहा है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन की नियमों की पालना कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है तथा अपीलान्ट्स द्वारा किसी विशिष्ठ स्थान पर अपना कब्जा सिद्ध करने संबंधी कोई दस्तावेजात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।अपीलान्टस केवल मात्र प्रकरण एवं भुमि को उलझाये रखना चाहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से तकासमा किया गया है अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण सख्या 01 व 02 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है कि तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–05–2015 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पर अनापत्ति किये जाने के पश्चात प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की ओर से वकील उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के जवाब दावे के साथ संलग्न नक्शे अनुसार तकासमा किये जाने में आपत्ति नही हैं।न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में निर्देश दिये है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर एवं संलग्न नक्शे के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसपर तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–10–2015 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार को दिनांक 01/01/2016 को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष की उपस्थिति में एवं मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा पुनः प्रेषित की जावे।इस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 17–10–2016 से कुर्रेजात रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 26–10–2016 को शामिल पत्रावली की गई।उक्त रिपोर्ट भी प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति पर सुना जाकर दिनांक 02/03/2017 को अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है।तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर यह अंकन किया गया है कि प्राप्त न्यायालय निर्णय प्रारम्भिक डिक्री में वर्णित व संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार पुनः संशोधित कुर्रेजात तैयार किया गया। मौके पर वादीगण की ओर से वादीगण का मुख्त्यार आम व प्रतिवादीगण की ओर से सीता राम पुत्र श्री रामनारायण व राधेश्याम पुत्र प्रभुदयाल कुमावत उपस्थित मिले। प्रतिवादी ने डिक्री में वर्णित कुर्रेजात से असहमति प्रकट की। रिपोर्ट विशेष विवरण में यह अंकन है कि यह कुर्रेजात पक्षकारान की मौजूदगी में काबिज काश्त अनुसार तैयार की जाकर प्रस्तुत की गई है इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा की गई यह आपत्ति की उभयपक्ष की गैर मौजदूगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है उचित नही हैं। इससे पूर्व जो कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 8–10–2015 को प्रेषित होकर दिनांक 30–10–2015 को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल हुई हैं उक्त रिपोर्ट भी तैयार करते समय प्रतिवादीगण की ओर से सीता राम व राधेश्याम के उपस्थित रहने का तथा उनके द्वारा असहमति प्रकट करने का उल्लेख है।इस प्रकार दोनों कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थिति रही है तथा दोनों बार ही उनके द्वारा असहमति प्रकट की गई। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जो आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके संबंध में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि " कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी सख्या 01 व 02 ने आपत्ति पेश की है। जब कि प्रतिवादीगण के द्वारा इससे पूर्व भी तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08–10–2015 पर भी आपत्ति की गई थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जिसे स्वीकार कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सांगानेर द्वारा संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार की है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर अंकन अनुसार वादीगण की ओर से मुख्त्यार आम व प्रतिवादीगण की ओर से सीता राम पुत्र रामनारायण, राधेश्याम पुत्र प्रभुदयाल कुमावत उपस्थित मिले। इस प्रकार प्रतिवादीगण सख्या 01 व 02 का यह कथन है कि कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय प्रतिवादी मौके पर उपस्थित नही थे, इस प्रकार प्रतिवादीगण सख्या 01 व 02 का कथन गलत सिद्ध होता है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण,वादीगण जो बाहर के काश्तकार है को हैरान व परेशान करना चाहते है,क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। उसी के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई।उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुऐ प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि ''तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौके पर उभयपक्ष की मौजूदगी में कुर्रेजात तैयार किये गये है पूर्व में तैयार कुर्रेजात पर प्रतिवादीगण द्वारा गैर मौजूदगी में कुर्रेजात तैयार करने का कथन किया गया था जो वर्तमान कुर्रेजात में नहीं है प्रतिवाीदगण द्वारा पूर्व के कुर्रेजात में उनकी भूमि को कई भागों में बाटने का आरोप लगाया तथा नवीन कुर्रेजात में एक ही जगह भूमि चाहने का कथन किया गया जो नियमानुसार संभव नही हैं। प्रतिवादीगण मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकामसा नहीं चाहते है। ऐसीस्थिति में कब्जे के आधार पर तकासमा करना न्यायोचित मानते है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी विशिष्ठ स्थान पर अपना कब्जा सिद्ध करने संबंधी कोई दस्ताावेजात प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 17–10–2016 के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।''इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विवेकपूर्ण विवेचन किये जाने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रकरण में दो बार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये गये है तथा दोनों बार प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे है। प्रथम बार मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट पर भी प्रतिवादीगण आपत्ति की गई है तथा दूसरी बार कब्जे काश्त के आधार पर तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट पर भी प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण न तो मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा न ही कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन करवाना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का मकसद मात्र प्रकरण को देरीना किये जाने से है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अपील में विधि संबंधी कोई सारभूत आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करवाये जाने, प्राथमिक डिक्री पर उभयपक्ष की अनापत्ति होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा मात्र प्रकरण को उलझाये रखने के उद्धेश्य से ही बार–बार आपत्ति प्रस्तुत करने से प्रतिवादीगण की अपील में कोई बलनिहित नही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृस्टांतों के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य पाई जाती हैं।

8–अतःअपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02–03–2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 02–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर